राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय

क्रमांक प. 7(110)डीएमई / एकेड / एमएनडीवाई / 2022 / पार्ट–4/2704 जयपुर, दिनांक 28.06.22

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के प्रभावित प्रचार--प्रसार के संबंध में 01 अप्रेल, 2022 से राज्य में **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना** लागू कर दी गई है। उपरोक्त योजना के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित कर दिये गये है।

उपरोक्त योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं आमजन को योजना के प्रावधान के बारे में अवगत कराने के लिये समुचित प्रयास किये जाने आवश्यक है। इस हेतु पूर्व मे राजकीय चिकित्सालयो में सुदृश्य स्थानों पर योजना की जानकारी हेतु फ्लेक्स, डेस्क बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कतिपय चिकित्सा संस्थानों में नवाचार करते हुये रोगियों को निःशुल्क दवा वितरण के लिफाफो के ऊपर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के प्रावधान की जानकारी का अंकन करते हुये लिफाफे छपवाये गये है। जिसके माध्यम से अस्पतालो मे आने वाले प्रत्येक रोगी को योजना के सही प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान एव समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु कार्यवाही करावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. अन्य संबंधित / रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव